

**Government of Jharkhand**  
**Department of Labour, Employment] Training and Skill Development**  
(Office of Labour Commissioner, Fax No-0651-2481013, E-Mail-labcomjhr@gmail.com)

**Order**

In exercise of the powers conferred under sub-clause (b) of clause (V) of sub-rule (2) of Rules-25 of Jharkhand Contract Labour (Regulation and Abolition) Rules, 1972, Labour Commissioner, Jharkhand hereby amend proviso 13(i) of the Annexure related to conditions of services issued vide order no. 157 Dated 25-01-2024 as follows and direct that it will be effective from the date of notification:-

**13. Wage Rate:-**

(i) Where no rate of wage have been regulated by way of agreement, settlement or award for such employment applicable for any category or class of workmen, the contractor shall pay following wages:-

Category of Workmen	Wage in Rs. (in Month)
Un-Skilled	12,203.36
Semi-Skilled	12,784.72
Skilled	16,853.20
Highly-Skilled	19,467.76

(ii) Other conditions related to rates of wages, holiday, hours of work and conditions of service shall remain same as in the original order.




(Sanjeev Kumar Besra)  
Labour Commissioner, Jharkhand.

ज्ञापांक:- 01/टे०म०अ०/08/2011 श्र०नि०.....1127.....राँची, दिनांक 28-06-2024  
प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय प्रेस, झारखण्ड, डोरण्डा, राँची-2 को सूचनार्थ एवं  
आगामी राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस  
गजट अधिसूचना की 100 (एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायें।



सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 01/टे०म०अ०/08/2011 श्र०नि०.....1127.....राँची, दिनांक.....28-06-2024  
प्रतिलिपि:-मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड,  
राँची के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल  
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
28/6/2024

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 01/टे०म०अ०/08/2011 श्र०नि०.....1127.....राँची, दिनांक.....28-06-2024  
प्रतिलिपि:- झारखण्ड सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय  
आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी अपर श्रमायुक्त, झारखण्ड/सभी संयुक्त श्रमायुक्त/सभी  
उप श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक सहित)/मुख्य कारखाना निरीक्षक, झारखण्ड/सभी उप मुख्य  
कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक, झारखण्ड/सभी सहायक श्रमायुक्त (कृषि  
श्रमिक सहित)/ सभी श्रम अधीक्षक(कृषि श्रमिक सहित)/सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को  
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
28/6/2024

सरकार के अवर सचिव।